



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

चतुर्थ तल, चन्द्रलोक विलिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 23353503, फैक्स : 23753923

वाचिका सं. 50/टीएल/2024

दिनांक : 26.3.2024

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (5)

के खंड (क) के अधीन नोटिस

वतामन ट्रांसमिशन लिमिटेड, बी-9, करुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110 016 द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निम्नां, स्थानित, प्रचालन और अंतरण (बीओआरटी) आयोग (इसके बाद "प्रियोजन" के रूप में संदर्भित) पर "फैस-III। आग बी के अधीन खावड़ा आरएस पार्क से अतिरिक्त ऊर्जा डब्ल्यू आरएस विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली" स्थापित करने हेतु अंतर्राजिक पारेषण अनुज्ञाप्ति प्रदान किए जाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14, और 15 के अधीन आवेदन किया गया है:

क्रम सं.	पारेषण घटक का नाम	अनुसूचित सीओडी
1.	2x330 एमवीएआर, 765 केवी बस रिएक्टर के साथ वतामन के पास 765 केवी स्विचिंग स्टेशन की स्थापना <ul style="list-style-type: none"> 330 एमवीएआर 765 केवी बस रिएक्टर - 2 (लाइन / बस रिएक्टर के लिए 1 स्पेयर यूनिट सहित 7x110 एमवीएआर सिंगल फेस रिएक्टर यूनिट) 765 केवी बस रिएक्टर बे - 2 765 केवी लाइन बे - 8 (क्रम 2, 5 एवं 7 पर लाइनों के लिए) भावी प्रावधान: <ul style="list-style-type: none"> निम्नलिखित के लिए स्थान <ul style="list-style-type: none"> बे के साथ 765 / 400 केवी आईसीटी - 6 नंबर स्विचेबल लाइन रिएक्टरों के साथ 765 केवी लाइन बे - 6 नंबर बे के साथ 765 केवी बस रिएक्टर: 2 नंबर 765 सेक्षनलाइजर बे: 1-सेट स्विचेबल लाइन रिएक्टर के साथ 400 केवी लाइन बे - 12 नंबर बे के साथ 400 / 220 केवी आईसीटी - 8 नंबर बे के साथ 400 केवी बस रिएक्टर: 2 नंबर 400 केवी सेक्षनलाइजर बे: 1-सेट 220 केवी लाइन बे: 16 नंबर 220 केवी सेक्षनलाइजर बे: 2 सेट 220 केवी बीसी और टीबीसी: 3 नंबर संबद्ध बे के साथ एमएससी (2x125 एमवीएआर) एवं एमएसआर (1x125 एमवीएआर) स्टेटकॉम (±300 एमवीएआर) 	एसपीवी अधिग्रहण की तारीख से 24 मास
2.	हलवद - वतामन 765 केवी डी / सी लाइन	
3.	हलवद - वतामन 765 केवी डी / सी लाइन के वतामन सिरे पर प्रत्येक सीकेटी पर 1x330 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर <ul style="list-style-type: none"> 330 एमवीएआर, 765 केवी स्विचेबल लाइन रिएक्टर - 2 नंबर (6x110 एमवीएआर सिंगल फेस रिएक्टर यूनिट) [110 एमवीएआर सिंगल फेस स्पेयर बस रिएक्टर यूनिट को लाइन रिएक्टर के लिए स्पेयर के रूप में उपयोग किया जाएगा] 765 केवी लाइन रिएक्टरों के लिए स्विचिंग इक्विपमेंट-2 	
4.	हलवद - वतामन 765 केवी डी / सी लाइन के समापन के लिए हलवद छोर पर 765 केवी लाइन बे के 2 नंबर <ul style="list-style-type: none"> 765 केवी लाइन बे - 2 नंबर (हलवद छोर के लिए) 	
5.	वतामन 765 केवी स्विचिंग स्टेशन पर लकाडिया - बड़ोदरा 765 केवी डी / सी लाइन का लीला	
6.	एनजीआर वाइपासिंग व्यवस्था के साथ लकाडिया - वतामन 765 केवी डी / सी लाइन के वतामन छोर पर प्रत्येक सीकेटी पर 240 एमवीएआर 765 केवी स्विचिंग लाइन रिएक्टर <ul style="list-style-type: none"> 240 एमवीएआर, 765 केवी स्विचेबल लाइन रिएक्टर - 2 (1 स्पेयर यूनिट के साथ 7x80 एमवीएआर सिंगल फेस रिएक्टर) 765 केवी लाइन रिएक्टरों के लिए स्विचिंग इक्विपमेंट-2 	
7.	वतामन स्विचिंग स्टेशन-नवसारी (नया) (जीआईएस) 765 केवी डी / सी लाइन	
8.	वतामन स्विचिंग स्टेशन-नवसारी (नया) (जीआईएस) 765 केवी डी / सी लाइन के वतामन (नया) (जीआईएस) छोर पर प्रत्येक सीकेटी पर 330 एमवीएआर स्विचिंग लाइन रिएक्टर <ul style="list-style-type: none"> 330 एमवीएआर, 765 केवी स्विचेबल लाइन रिएक्टर - 2 नंबर (6x10 एमवीएआर सिंगल फेस रिएक्टर यूनिट) [पीलीसीआईएल द्वारा नवसारी पर कार्यान्वयित किए जा रहे 110 एमवीएआर स्पेयर रिएक्टर यूनिट को स्पेयर के रूप में उपयोग किया जाएगा] 765 केवी लाइन रिएक्टर के लिए स्विचिंग इक्विपमेंट-2 	
9.	वतामन स्विचिंग स्टेशन-नवसारी (नया) (जीआईएस) 765 केवी डी / सी लाइन के समापन के लिए नवसारी (नया) पर 765 केवी जीआईएस लाइन बे के 2 नंबर <ul style="list-style-type: none"> 765 केवी लाइन बे (जीआईएस) - 2 नंबर (नवसारी (नया) छोर के लिए 2 नंबर) 	

नोट:

(I) हलवद एस/एस का विकासकर्ता हलवद - वतामन 765 केवी डी / सी लाइन के समापन के लिए 765 केवी लाइन बे के 2 नंबर के कार्यान्वयन के लिए स्थान प्रदान करेगा।

(II) विकासकर्ता वतामन स्विचिंग स्टेशन - नवसारी (नया) (जीआईएस) का विकासकर्ता हलवद - वतामन 765 केवी लाइन के समापन के लिए स्विचेबल लाइन रिएक्टरों के साथ 765 केवी लाइन बे के 2 नंबरों के कार्यान्वयन के लिए स्थान प्रदान करेगा। साथ ही, नवसारी (नया) (जीआईएस) एस/एस का विकासकर्ता, वतामन स्विचिंग स्टेशन - नवसारी (नया) (जीआईएस) 765 केवी डी / सी लाइन के नवसारी (नया) (जीआईएस) छोर पर प्रत्येक सीकेटी पर 330 एमवीएआर एमएलआर के लिए 110 एमवीएआर सिंगल फेस स्पेयर रिएक्टर यूनिट के उपयोग की अनुमति देगा।

(III) वन-एंड-डाफ ब्रेकर स्कॉम में डाइमीटर (जीआईएस) को पूरा करने के लिए यथा अपेक्षित बे का लोड द्वारा किया जाएगा।

(IV) वतामन 765 केवी लाइन के बाद लकाडिया और बड़ोदरा छोर पर मैन लाइन ब्रेकर के साथ स्विचिंग लाइन रिएक्टर की ट्रिपिंग के लिए इंटर-ट्रिपिंग स्कीम के लिए लॉजिक, वतामन 765 केवी स्विचिंग स्टेशन पर लकाडिया-बड़ोदरा 765 केवी डी / सी लाइन के लीला के बाद जाइन के विद्यमान स्वामी (अर्थात् मैसर्स एल्वीटीपीएल) द्वारा संभाल बनाया जाएगा।

2. वतामन 765 केवी लाइन के बाद लकाडिया और बड़ोदरा छोर पर मैन लाइन ब्रेकर के साथ स्विचिंग लाइन रिएक्टर की ट्रिपिंग के लिए इंटर-ट्रिपिंग स्कीम के लिए लॉजिक, वतामन 765 केवी स्विचिंग स्टेशन पर लकाडिया-बड़ोदरा 765 केवी डी / सी लाइन के लीला के बाद जाइन के बाद जाइन के विद्यमान स्वामी (अर्थात् मैसर्स एल्वीटीपीएल) द्वारा संभाल बनाया जाएगा।

3. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने वाचिका सं. 50/टीएल/2024 के आवेदन द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्खित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञाप्त जारी किए जाने का प्रत्यावाप किया है।

4. वतामन ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतर्राजिक पारेषण अनुज्ञाप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक पारेषण योजना की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञाप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक पारेषण योजना की स्थापना के लिए आवेदक को प्रत्येक साहित आवेदन की प्रति ग्रामपाल करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।

5. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपायारा (5) के खंड (क) के अनुसर में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञाप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक को पारेषण के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुबंधों को साहित आवेदन की प्रति ग्रामपाल करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।

6. आयोग द्वारा दिनांक 8.4.2024 तक अधीक्षित वारी के अनुसार जासूझावों या आपत्तियों यदि कार्ड हो, को उक्त पर्याप्त विवरण द्वारा दिया जाएगा। विनिर्दिष्ट तारीख के अनुसार एवं सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

आयोग द्वारा दिनांक 10.4.2024 को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वाविके से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई हटी/द्वारा नहीं दिया जाएगा।

हरप्रीत सिंह पूर्णी
सचिव

Dainik Jagran
2/4/24